निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 16/प्रा0पत्र/20

उनवान प्रा0पत्र

राज0सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक,रसद विभाग झालावाड़

बनाम

जावेद अली/मोहम्मद जहीर

निवासी मोहम्मद जहीर का मकान,पुरानी जेल रोड,झालावाड़

प्रा0पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर व 02 गैस भरने की मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद

श्री तोकिर आलम अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः 08.09.2020

यह प्रा0पत्र जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक,रसद विभाग झालावाड़ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। अपने प्रा0पत्र मैंमों में अंकन किया है कि घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग रोकने के लिये दिनांक 20.02.2020 को जिला रसद अधिकारी,प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावाड़ जांच हेतु पहुंचे। मौके पर जावेद अली उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को मकान मालिक का पुत्र बताया। वक्त जांच तलाशी लेने पर 09 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 पाये गये। अवैध गैस रिफलिंग करने की सूचना पर सिलेण्डर को जब्त किया जाकर मैसर्स झालावाड एचपी गैस सर्विस,झालावाड़ के मैनेजर अब्दुल सलीम की सुपुर्दगी में दिया गया। जांच से स्पष्ट है कि अनुदानित घरेलू गैस का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

बहस सुनी गई । पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेंडरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु पंहुचे मौके पर जावेद उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को मकान मालिक का पुत्र बताया। वक्त जांच तलाशी लेने पर 09 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 पाये गये। सिलेण्डर को जब्त किया जाकर मैसर्स झालावाड एचपी गैस सर्विस,झालावाड़ के मैनेजर अब्दुल सलीम की सुपुर्दगी में दिया गया। जांच से स्पष्ट है कि अनुदानित घरेलू गैस का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात किया जावे। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस की पुष्ठी करते हुए कथन किया कि जब्त 09 सिलण्डर खाली थे जिनसे किसी तरह की रिफलिंग नही की जा रही थी । अप्रार्थी द्वारा रिफलिंग का कार्य नही किया जा रहा था। प्रकरण से मुक्त किया जाकर जब्त सिलेण्डर को वापस अप्रार्थी को दिलवाया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जो कार्यवाही अप्रार्थी के मकान पर की गई वह घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग व अवैध व्यवसायिक उपयोग को रोकने के लिये की गई है उक्त कार्यवाही के दौरान 9 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल क0 रखे मिलना स्पष्ट है। अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर अपने मकान पर क्यों रखे गये थे इस बाबत कुछ कथन नही किया गया है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर से अवैध गैस रिफलिंग कार्य में अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। उक्तानुसार प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह सही है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(ए) का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर न0 625011,46998,390512,951716,482563,215507,916300,252852,43520 एचपी क0, को राजसात किया जाता है– जिला रसद अधिकारी उक्त राजसात सिलेण्डर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अनुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़